कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन के अवयवों तस्करी के आदतन आरोपी लालतन कुंगा की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा द्वितीय बार निरस्त

प्रेस विज्ञप्ति **(64/26,** दिनांक **10.09.2026)**

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की एकल पीठ द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), क्षेत्रीय इकाई जबलपुर में दर्ज वन्यजीव तस्करी के प्रकरण में आरोपी लालटलन कुंगा (Laltan Kunga) की द्वितीय जमानत याचिका (MCRC No. 34356/2026) को खारिज कर दिया गया है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स**,** क्षेत्रीय इकाई**,** जबलपुर को वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा से हस्तांतरित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2271/55 दिनांक 30.04.2015 जो कि वन्यप्राणी पेंगोलिन अनुसूची-I के अवैध शिकार एवं उनके अवयवों का अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवैध व्यापार से संबंधित है। प्रकरण में अब तक कुल 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी लालटलनकुंगा पिता व्ही.एल. वुआना निवासी वैंगलई बाजार**,** कोलासिब मिजोरम प्रकरण में लगभग 11 वर्ष से फरार था। आरोपी लालटलन कुंगा 15 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है।

आरोपी लालटलनकुंगा देश के वन्यप्राणी तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9, 39, 44, 48A, 49B, 51, 52 एवं 57 के तहत मध्यप्रदेश में 03 प्रकरण एवं ओडिशा में 01 प्रकरण दर्ज है**,** जो वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों के अवैघ व्यापार से संबंधित है।

आवेदक पक्ष द्वारा तर्क दिया गया था कि उसे सह-अभियुक्तों के मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी बनाया गया है, उससे सीधी जब्ती नहीं हुई है और मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (CJM) में विचाराधीन है। STSF एवं राज्य शासन की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता (Dy. Govt. Advocate) ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत समान प्रकृति के 3 आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Antecedents) दर्ज हैं।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के आदतन वन्यजीव अपराधी होने के आधार पर जमानत याचिका निरस्त कर दी। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल